खण्ड - छः

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी/उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैः

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6 जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
8. ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय अटल नगर में स्थित है। इसके अधीन सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका-1

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	वेतन लेवल	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	सदस्य सचिव	01	अखिल भारतीय सेवा का संवर्ग वेतनमान	01	–
2.	अतिरिक्त सचिव	01	अखिल भारतीय सेवा का संवर्ग वेतनमान	–	रिक्त
3.	मुख्य अभियंता	01	लेबल – 16	01	–
4.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	02	लेबल – 15	02	–
5.	अधीक्षण अभियंता	07	लेबल – 14	07	–
6.	वरि. वैज्ञानिक अधिकारी	03	लेबल – 14	03	–
7.	कार्यपालन अभियंता	09	लेबल – 13	–	09
8.	मुख्य रसायनज्ञ	07	लेबल – 13	04	03
9.	जनसंपर्क अधिकारी	01	लेबल – 13	01	–
10.	विधि अधिकारी	01	लेबल – 13	–	01
11.	वैज्ञानिक	15	लेबल – 12	08	07
12.	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	01	लेबल – 12	–	01
13.	स्टाफ आफीसर	01	लेबल – 12	01	–

क.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	वेतन लेवल	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
14.	सहायक अभियंता	20	लेबल – 12	17	03
15.	सहायक विधि अधिकारी	02	लेबल – 12	02	–
16.	अनुभाग अधिकारी (बी)	03	लेबल – 10	01	02
17.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	15	लेबल – 10	–	15
18.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	लेबल – 10	–	01
19.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	02	लेबल – 09	–	02
20.	वरिष्ठ लेखापाल (बी)	06	लेबल – 09	05	01
21.	सहायक प्रोग्रामर	01	लेबल – 09	–	01
22.	उप अभियंता	01	लेबल – 08	01	–
23.	रसायनज्ञ	20	लेबल – 08	14	06
24.	लेखापाल	14	लेबल – 08	05	09
25.	विधि सहायक	01	लेबल – 08	–	01
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	02	लेबल – 07	–	02
27.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–1	15	लेबल – 06	06	09
28.	सहायक ग्रेड–2	20	लेबल – 06	07	13
29.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–2	20	लेबल – 04	10	10
30.	सहायक ग्रेड–3	40	लेबल – 04	19	21
31.	वाहन चालक	20	लेबल – 04	06	14
32.	प्रयोगशाला परिचारक	20	लेबल – 03	07	13
33.	दफ्तरी	12	लेबल – 02	04	08
34.	भृत्य	35	लेबल – 01	06	29

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू0 946.31/– लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 2824.83/– लाख प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति		नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	स्थापना – 70	} 76	325
		संचालन – 06		
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	178		647
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	490		431
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	102		283
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	31		83
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	63		162
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	110		100
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	116		72
	कुल	1,166		2,103

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य

5.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1

जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :—

तालिका -3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग—भिलाई	101
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	53
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	70
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	42
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	314

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :—

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग—भिलाई	190
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	105
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	158
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	251
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	165
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	106
	कुल	**1,011**

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1

जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग–भिलाई	84
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	53
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	40
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	12
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	निरंक
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	88
	कुल	**319**

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका -6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस. पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	–	1139	2278	2278
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	272	272	544	544
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	290	507	1014	1014
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	–	410	655	655
	कुल	**562**	**2,328**	**4,491**	**4,491**

(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गयेः–

तालिका -7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	189	146
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	26	75
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	निरंक	174
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	निरंक	110
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	61	56
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	52	236
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	104	23
	कुल	**432**	**820**

5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन, 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-

(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :–

तालिका -8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	13

5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका -9

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/ उत्पादन बंद करने के निर्देश	बिना सम्मती प्राप्त उद्योगों को उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	52	10	1069
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	07	04	805
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	07	07	निरंक
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	05	निरंक	निरंक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	42	22	480
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	36	12	निरंक
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	04	02	498
	कुल	**153**	**64**	**2852**

6. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :—

1. प्राधिकार — 143
2. नवीनीकरण — 34

7. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :—

1. प्राधिकार — 402
2. नवीनीकरण — 120

8. ध्वनि स्तर मापनः- मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 597 है।

9. **ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनः-** मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 102 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

10. **17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापितः-** मंडल में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।

11. **ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टमः-** मंडल द्वारा "ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम" की स्थापना की गई है। 01 नवम्बर 2014 से मंडल में स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के लिए ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके कारण भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 24×7 की सुविधा प्रारंभ है।

12. **लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अवधि मे वृद्धिः-** मंडल द्वारा लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अधिकतम अवधि क्रमशः 05 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष कर दी गई है।

13. **वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2018-19 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी)**

तालिका -11

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	2,71,521
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	1,92,795
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	3,25,000
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	5,36,876
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	2,39,606
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	19,97,570
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	27,766
	कुल	35,91,134

14. **नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान:-** स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। राज्य में 6 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

15. **जन जागरूकता अभियान**

1. **22 अप्रैल, 2018 विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन:-** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा 22 अप्रैल, 2018 विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैरिन ड्राईव, तेलीबांधा, रायपुर में जनजागरूकता संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कपड़े के थैलो का वितरण किया एवं पर्यावरण से संबंधित नुक्कड़ नाटक व माईम शो आयोजित किये गये।

2. 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नो प्लास्टिक थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजनः-

05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 02 जून से 05 जून तक किया गया। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा भी भाग लेकर विभागीय गतिविधियों एवं कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मंडल द्वारा नुक्कड़ नाटक व माईम शो भी आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त मंडल मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर में स्कूली बच्चों की पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस अवसर पर जनजागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

3. ग्रीन स्किल डेव्लपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभः- 07 दिसंबर, 2018 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, एन.आई.टी. रायपुर में ग्रीन स्किल डेव्लपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्रीन स्किल डेव्लपमेंट कार्यक्रम भारत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किये जाने वाला कार्यक्रम है। ई.टी.पी./एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. आपरेशन व मेंटेनेंस विषय पर तीन माह के शार्ट टर्म कोर्स का संचालन एन.आई.टी. रायपुर द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 07 दिसंबर, 2018 से प्रारंभ किये गये प्रथम बैच में 20 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

16. बोर्ड की वित्तीय स्थिति

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:—

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में	जल उपकर शुल्क रू. लाख में	राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018	1249.16 / —	2878.06 / —	निरंक	निरंक